05.08.2025

अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित।

बहस मजीद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की हुई है तथा वादी द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया जा चुका है। वादी पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश करते समय कुछ दस्तावेज असल पेश किये थे तथा कुछ दस्तावेजात की फोटोप्रति पेश की थी। हस्तगत वाद में असल दस्तावेज पेश किये जाने आवश्यक है जिस हेतु असल दस्तावेजात तथा प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जावे। उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज हैं जिनकी सत्यता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जावे।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर जवाब प्रस्तुत कर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये यह निवेदन किया कि जिन दस्तावेजों को वादीगण पेश करना चाहते हैं उनमें से कुछ दस्तावेजात फर्जी तथा कूटरचित है तथा कुछ दस्तावेजात असल एवं सत्य दस्तावेज नहीं है। 11 वर्षों तक उक्त दस्तावेज को पेश नहीं करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है तथा कई दस्तावेजों की फोटोप्रतियां भी पूर्व में पेश नहीं की हुई थी। सभी दस्तावेजात वादीगण के कब्जे में थे परन्तु फिर भी वर्षों तक दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। वाद की कार्यवाही में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत वसीयतनामा दिनांक 13.12.1990 तथा विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2010 को अवैध, शून्य व

प्रभावहीन घोषित कराये जाने बाबत वर्ष 2011 को प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जिन दस्तावेजात को प्रस्तुत किया है उनमें से कुछ दस्तावेज मूल है, कुछ दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी है तथा कुछ दस्तावेज फोटोप्रति दस्तावेज हैं। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्व से ही वादीगण के कब्जे में थी जिनको देरी से पेश करने का कोई यथोचित कारण भी अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि उक्त प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेज है। अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल दस्तावेज तथा प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेज 600/– रूपये कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक ..... को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या 02, नागौर